तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की
13/1/21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.। प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से मुतजकरान के प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से स्वीकार करते हुये संपत्ति ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये व्यक्त की। प्रति. न. 3 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जवाब दावा प्रस्तुत कर उक्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति का बोध करवाते हुये दावा डिक्री किये जाने पर आपत्ति पेश की गई थी तदुपरान्त गत पेशी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया गया, राजीनामे के वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब दावा, राजस्व रेकार्ड, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 188 / 2020 तारीख दायरा 21.09.2020

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. भरतराज उम्र 37 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. नरेन्द्र कुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामचरण नागर जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया।
2. आशा नागर पुत्री रामस्वरूप नागर पत्नी राकेश नागर जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद हाल निवासी विनोबाभावे नगर कोटा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।
4. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद जिला कोटा राजस्थान। –प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनॉक :– 13.01.2021

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:31 IST
Reason: SelfAttested

––निर्णय––

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 1 की संतान है, अर्थात वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र व पुत्री है। वादीगण के दादाजी स्व0 रामचरण पुत्र भैरूलाल जी द्वारा अपनी पुश्तेनी आराजी की आय से वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 के नाम से कयशुदा आराजी माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 310 के खसरा नं0 280 की 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 281 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 331 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 332 की 0.59 हैक्टर, खसरा नं0 532 की 1.47 हैक्टर, खसरा नं0 533 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 534 की 1.66 हैक्टर, खसरा नं0 576 की 0.81 हैक्टर, खसरा नं0 610 की 0.40 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 5.09 हैक्टर आराजी स्थित है, उक्त आराजी वादीगण की पुश्तेनी आराजी है।

वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी वादीगण के दादाजी द्वारा उनके जीवनकाल में पुश्तेनी आराजी की आय से कयशुदा आराजी है, जो सीधे ही स्व0 रामचरण जी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में आने से विकय विलेख पंजीयन करवा दिया था, उक्त आराजी पुश्तेनी आराजी की आय से खरीदशुदा आराजी होने से पुश्तेनी आराजी की तारीफ में आती है, जिसमें वादीगण का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक व हिस्सा निहित है, जिसे वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 से प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

उक्त वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ने करीब 10–12 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर पारिवारिक विभाजन कर लिया है, जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 उक्त आराजी में 1/4–1/4 हिस्से की आराजी को शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है, तथा प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से की एवज में अन्य सम्पत्ति प्राप्त कर ली है, तथा उक्त त्याग में निहित प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी नं 2 के हक में हक त्याग कर दिया था, जिसकी एक सा[illegible] लिखी गई थी, जो साथ संलग्न है। जिसके अनुसार उक्त आराजी को अक वादीग[illegible] 2 [illegible] उक्त आराजी की बांट बराबर से मालिक व स्वामी है, तथा अपने हिस्से [illegible] अधिकारी है।

वादीगण को अपने हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त [illegible] आराजी का विकास कार्य करवाने में व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है, जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला कोटा

पूर्व की सादा तहरीर अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर आराजी नाम करवाने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 टालमटूल कर रहा है, तथा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने की वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि अपने हिस्से की घोषणा करवावे, जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 के हक में व प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :-

माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 310 के खसरा नं0 280 की 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 281 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 331 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 332 की 0.59 हैक्टर, खसरा नं0 532 की 1.47 हैक्टर, खसरा नं0 533 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 534 की 1.66 हैक्टर, खसरा नं0 576 की 0.81 हैक्टर, खसरा नं0 610 की 0.40 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 5.09 हैक्टर आराजी पूर्व की सादा तहरीर अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को बांट बराबर से अर्थात 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाकर वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 का नाम अंकित किया जाकर अमल दरामद किया जावे, इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में व प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध पारित फरमायी जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री अमित पांचाल ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 4 बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जवाब दावा प्रस्तुत कर उक्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति का बोध करवाते हुए दावा डिक्री किए जाने पर आपत्ति व्यक्त की। तद्उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता [illegible] राजीमाना खुल न्यायालय में पढकर सुनाया गया। सभी पक्षकारान ने [illegible] के आधार पर वाद डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:31 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया ओर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जवाब दावा,राजस्व रेकार्ड,राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 310 के खसरा नं0 280 की 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 281 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 331 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 332 की 0.59 हैक्टर, खसरा नं0 532 की 1.47 हैक्टर, खसरा नं0 533 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 534 की 1.66 हैक्टर, खसरा नं0 576 की 0.81 हैक्टर, खसरा नं0 610 की 0.40 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 5.09 हैक्टर आराजी पूर्व की सादा तहरीर अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 को बांट बराबर से अर्थात 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक–पृथक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा तथा आराजी के रहन भार मुक्त होने पर ही निर्णय की पालना की जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:31 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद